न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 243/2017 दायर दिनॉक 29.08.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद आरिफ पुत्र सुल्तानखाँ, उम्र–20साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र मोतीराम, उम्र–45साल, जाति–मेघवाल, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. रामचन्द्र पुत्र मंगलाराम, उम्र–40साल, जाति–जाट, निवासी–छोटीखाटू, हाल,निवासी–छपारा, ओगरा की ढाणी, तहसील–मकराना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. ओमप्रकाश पुत्र जगदीशप्रसाद, उम्र–60साल, जाति–जोशी ब्राह्मण, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. गोविन्दलाल पुत्र श्रीकिशन, उम्र–45साल, जाति–सुनार, निवासी–छोटीखाटू, हाल,निवासी–बड़ीखाटू, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. हरिराम पुत्र उमाराम, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–बाजिया की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल, उम्र–65साल, जाति–सारड़ा, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. थानमल पुत्र चान्दमल, उम्र–55साल, जाति–मुथा, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. बादलचन्द पुत्र चान्दमल, उम्र–40साल, जाति–मुथा, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

		9. झणकारी पत्नी दिलीपकुमार, उम्र–60साल, जाति–मेघवाल, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. धर्मेन्द्र पुत्र दिलीपकुमार, उम्र–30साल, जाति–मेघवाल, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. सवितादेवी पत्नी पुखराज ओसवाल, उम्र–50साल, जाति–ओसवाल, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. निर्मलादेवी पत्नी रामकिशोर लखारा, उम्र–40साल, जाति–लखारा, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. मंगलसिंह पुत्र कुकरसिंह, जाति–राजपूत, उम्र–40साल, निवासी–गुलालपुरा सगरा, तहसील–भिण्ड, जिला–भिण्ड, मध्यप्रदेश, हाल,निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. मांगीलाल पुत्र हरदीनराम, उम्र–40साल, जाति–माली, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. चुकादेवी पत्नी शिवजीराम, उम्र–55साल, जाति–माली सिंगोधिया, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. मोहनीदेवी पुत्री बालाराम, उम्र–55साल, जाति–जाट, निवासी–खरवालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. जगदीशराम पुत्र भेराराम, उम्र–55साल, जाति–माली, निवासी–किशनपुरा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–243/2017
दायर दिनाँक 29.08.2017, निर्णय दिनाँक 10.11.2017
मोहम्मद आरिफ बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. रूपाराम पुत्र बालाराम, उम्र–58साल, जाति–जाट, निवासी–लौरोली खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. मोतीलाल पुत्र चुन्नीलाल, उम्र–65साल, जाति–माली जाजम, निवासी–छोटीखाटु, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. हेमसिंह पुत्र राजूसिंह, उम्र–60साल, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. भँवरकँवर पुत्री राजूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. मनुकँवर पुत्री राजूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. मोहनकँवर पुत्री राजूसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 24. मनोजकँवर पत्नी अभयसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 25. रामसिंह पुत्र अभयसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 26. श्यामसिंह पुत्र अभयसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 27. लक्ष्मणसिंह पुत्र अभयसिंह,

अतिरिक्त कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		नाबालिग संरक्षक माता मनोजकँवर, जाति–राजपूत, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 28. महेन्द्र बेनीवाल पुत्र हेमाराम बेनीवाल, उम्र–38साल, जाति–जाट, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 29. मोहम्मद असरफ पुत्र सुल्तानखाँ, उम्र–18साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. बुलाब बानो पत्नी सुल्तानखाँ, उम्र–40साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 31. मोहम्मद फारुक पुत्र मोहम्मद इस्माईल, उम्र–50साल, जाति–लुहार, निवासी–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 32. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 की ओर से।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **10.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 31 तक खेत खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा वाकै शरहद छोटीखाटू हल्का पटवारी छोटी खाटू के खातेदारी व काबिज व काश्तकार है।

वादी व प्रतिवादीगण की उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि वाकै शरहद खाटूखुर्द 1284 रकबा 05.10 बीघा वाकै शरहद खाटूखुर्द है जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी नकल पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–243/2017
दायर दिनाँक 29.08.2017, निणर्य दिनाँक 10.11.2017
मोहम्मद आरिफ बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के पिता व पति के द्वारा दिनाँक 14.10.2009 को खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 31 मोहम्मद फारूक ने रजिस्टर्ड बैचाण कर दिया था, जिसकी प्रतिलिपि पेश है।

जरिये रजिस्टर्ड बैचाण, प्रतिवादी संख्या 31 ने प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 27 के पिता व पति से उक्त भूमि खरीदी थी। उक्त रजिस्टर्ड बैचाण की प्रतिलिपि पेश है।

वादी ने दिनाँक 05.08.2017 को हल्का पटवारी से उक्त खसरा की नकल लेने से पता चला कि वादी के पिता सुल्तानखाँ का उक्त खसरा की भूमि में रजिस्टर्ड बैचाण का नामान्तरकरण नहीं भरा गया है।

प्रतिवादी संख्या 20 ता 27 के पिता व पति राजूसिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 31 मोहम्मद फारूक को दिनाँक 19.09.2003 को रजिस्टर्ड बैचाण खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा में से रकबा 0.05 बीघा भूमि बैचाण की, को प्रतिवादी संख्या 31 मोहम्मद फारूक ने बिना खातेदारी के ही सीधी जरिये रजिस्ट्री से वादी के पिता सुल्तानखाँ को दिनाँक 14.10.2009 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण कर दी, लेकिन वादी के पिता एक्सीडेन्ट से फौत होने से व अनपढ होने से उक्त रजिस्ट्री बैचाण का नामान्तरकरण नहीं कर पाये। इसलिए अब वादी उक्त भूमि रकबा 0.05 बीघा का नामान्तरकरण व अपना बन्टवारा चाहता है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 का अपने खरीद सुदा व कब्जाकाश्त के उपर्युक्त खसरा नम्बर की भूमि में कदीम से काश्त करते आये है। दिनाँक 05.08.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियाँ धमकी दी कि उक्त भूमि का बैचाण किसी भू–माफिया को कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण ने वादी के खरीद सुदा व कब्जाकाश्त की भूमि का बैचाण बिना बन्टवारा कराए कर दिया तो वादी को हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा वाद पेश करना लाजमी आया है।

प्रतिवादी संख्या 32 तहसीलदार डीडवाना लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से व प्रतिवादी संख्या 31 द्वारा वादी के पिता को बैचाण करने से इस वाद में पक्षकार बनाये गये हैं। यह वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं है, आपसी बन्टवारे का होने से दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

बिनाय दावा दिनाँक 09.08.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनाँक 09.08.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा में रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी मोहम्मद आरिफ, प्रतिवादी संख्या 29 मोहम्मद असरफ व प्रतिवादी संख्या 30 गुलाब बानो को खातेदार घोषित किया जावे।

उक्त खसरान् की भूमि में से नजरीनक्शा अनुसार बन्टवारा कर खातेदारी घोषित की जावे। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के पक्ष में व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 28, 31 व 32 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 32 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 28, 31 व 32 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 की ओर से वाद मे इकवालिया जवाब पेश हुआ।

वादी द्वारा पेश वाद के संलग्न, वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–273 की सत्यप्रतिलिपि, विक्रय–पत्र दिनाँकित 19.08.2013 की छायाप्रति, विक्रय–पत्र दिनाँक 14.10.2009 की छायाप्रति है।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् दावानुसार, दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 ने इकबालिया जवाब पेश कर दिया है। खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा में से वादग्रस्त भूमि रकबा 0.05 बीघा को मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद ईस्माईल जाति लूहार निवासी छोटी खाटू ने राजुसिंह पुत्र इशरसिंह जाति राजपूत निवासी छोटी खाटू से जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के, क्रय किया है, इसी भूमि को उक्त मोहम्मद फारूक ने आगे चलकर सुल्तान खान पुत्र मनोहरदीन जाति मुसलमान शेरानी निवासी शेरानी आबाद को जरिये रजिस्टर्ड बैचाण के, विक्रय कर दिया। उक्त सुल्तान खान, वाद में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के पिता व पति थे। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 के पिता व पति द्वारा क्रय की गयी उक्त भूमि रकबा 0.05 बीघा, के हकदार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 हैं। उक्त क्रय की गयी भूमि रकबा 0.05 बीघा की खातेदारी, वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30, अपने नाम से घोषित करवाना चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 29 व 30 के पिता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–243 / 2017
दायर दिनाँक 29.08.2017, निणर्य दिनाँक 10.11.2017
मोहम्मद आरिफ बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

व पति द्वारा उक्त क्रय की गयी भूमि रकबा 0.05 बीघा की खातेदारी, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 को दी जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द पटवार क्षेत्र खाटूखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.11.2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **10.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद खाटूखुर्द पटवार क्षेत्र खाटूखुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 1284 रकबा 05.10 बीघा भूमि में से नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, रकबा 0.05 बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 29 व 30 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **10.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner